न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 84/25

रमेशचन्द शर्मा पुत्र कज्जीराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी भोगीपुरा (निठारी), तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

................प्रार्थी

बनाम

1. साहबसिंह पुत्र निरासी, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

............असल अप्रार्थी

2. अंगूरसिंह पुत्र केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
3. पिन्टू पुत्र केदारसिंह, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
4. बहादुर पुत्र निरासी, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
5. मुनेश पुत्र केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
6. रणवीरसिंह पुत्र निरासी, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
7. लज्जादेवी पत्नी केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
8. विष्णु कुमार पुत्र केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
9. श्यामवीर पुत्र केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
10. सुमेर पुत्र केदार, जाति–जाट, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.............तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा0 दी0 वसिलसिले वाद डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट

दिनांकः– 24/9/25

निर्णय

उपस्थितिः– श्री सुखदेव शर्मा एड0 प्रार्थी
श्री भारत भूषण एड0 असल अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा0 दी0 वसिलसिले वाद डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 291, पुराना 29 के आराजी खसरा नम्बर 1445 रकवा 1.00 हैक्ट. वाके ग्राम निठारी, तहसील बयाना में स्थित है जिसमें प्रार्थी रमेशचन्द शर्मा 1/8 हिस्से का, असल अप्रार्थी संख्या 01 साहवसिंह 1/24 हिस्से का, तरतीवी अप्रार्थी संख्या 02 अगूंरसिंह 2/27 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 03 पिन्टू 2/27 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 04 बहादुर 1/6 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 05 मुनेश 2/27 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 06 रणवीरसिंह 1/6 हिस्से का, अप्रार्थनी संख्या 07 लज्जादेवी 1/18 हिस्से की, अप्रार्थी संख्या 08 विष्णु कुमार 2/27 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 09 श्यामवीर

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

2/27 हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 10 सुमेर 2/27 हिस्से का संयुक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त वर्णित आराजी वादी प्रार्थी व असल अप्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 की अविभाजित है जिसका वाई मीटस एण्ड वाउण्ड्स विभाजन आज कभी नहीं हुआ है जिसे मौके पर प्रार्थी व असल अप्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 अपने–अपने निहित हिस्से के अनुसार शामिल शरीक में काश्त कर अपने–अपने हिस्से की उपज लेते चले आ रहे है। प्रार्थी के 1/8 हिस्से की आराजी से असल अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी में सिंचाई हेतु बोर लगा रखा है जिससे वह अपने हिस्से की आराजी को सिंचाई के उपयोग–उपभोग में लेता चला आ रहा है असल अप्रार्थी, प्रार्थी से कुछ दिनों द्वेष रखने लगा है और उसे अनावश्यक रूप से उक्त आराजी को जोतने बोने में विघ्न व बाधा उत्पन्न करने लगा है तथा विना बटवारा हुऐ उक्त आराजी को रहन, वय मुन्तकिल करने व अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी ने असल अप्रार्थी से दिनांक 19.05.2025 को उक्त विवादित आराजी का उक्त वर्णित हिस्सों के अनुपात से वाई मीटस एण्ड वाउन्डस मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के विभाजन करने को कहा तो असल अप्रार्थी ने वाहमी तौर पर विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया है और प्रार्थी को खुले आम धमकी दी है कि अच्छी–अच्छी आराजी पर लट्ठ व पैसे की ताकत से कब्जा करेगा अगर कब्जा करने में सफल नही हुआ तो किसी लट्ठ व पैसे वाले व्यक्तियों को रहन, वय व मुन्तकिल कर देगा तथा प्रार्थी को उसके 1/8 हिस्से से जबरन वेदखल करेगा एवं तेरे हिस्से की आराजी में लगे बोर को नष्ट व वर्वाद कर देगा एवं सिंचाई हेतु उपयोग–उपभोग में नहीं लेने देगा। यदि अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ तो उक्त आराजी को किसी अन्य दीगर लठैत व्यक्तियों को विक्री कर लट्ठ व पैसे की ताकत से अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करा देगा। प्रार्थी, असल अप्रार्थी के मुकाबले में हर तरह से गरीब व कमजोर व्यक्ति है और असल प्रतिवादी अप्रार्थी की जोर जबरदस्ती का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है। यदि असल अप्रार्थी अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी और और प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा इसलिये प्रार्थी को असल अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लाना और असल प्रतिवादी को पाबन्द कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया। प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अन्त में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाये जाने असल अप्रार्थी को ताःफैसला मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 1445 रकवा 1.00 हैक्ट. वाके ग्राम निठारी तहसील बयाना में प्रार्थी को उसके 1/8 हिस्से के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट नहीं डालें प्रार्थी के 1/8 हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा कर वेदखल नहीं करें एवं प्रार्थी के बोर को नष्ट व वर्वाद नहीं करें विवादित आराजी के किसी भी हिस्से को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखनें बाबत निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार किया है। अंकित किया है कि वादी प्रार्थी का दावा बिल्कुल झूठा व निराधार है। वादी प्रार्थी को दावे में कामयाबी के कोई चांसेज नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में खसरा नम्बर 1445 रकवा 1.00 हैक्ट. ग्राम निठारी तहसील बयाना जिला भरतपुर स्थित है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी में एक बोर अपनी आराजी की सिंचाई हेतु लगा रखा है जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 जिस प्रकार से कथन की गई है गलत है सत्यता यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की आराजी विरासत से प्राप्त हुई है जो अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से की आराजी को मेहनत कर सिंचाई हेतु अधिक धनराशि खर्च कर एक बोर लगाकर अपनी आराजी को अच्छी व उपजाऊ बना ली है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की आराजी पर कोई अधिकार किसी प्रकार के प्राप्त नहीं होते है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद डिवीजन ऑफ

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में कतई गलत व बनावटी है। मद संख्या 04 जिस प्रकार बयान की गई है गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का कथन यह है कि उसके 1/8 हिस्से की आराजी में सिंचाई हेतु एक बोर लगा रखा है जिसे वह सिंचाई हेतु उपयोगन–उपभोग में लेता चला आ रहा हो, कथन कतई झूठा व बनावटी है। अप्रार्थी संख्या 01 के सिंचाई हेतु लगे बोर व विद्युत कनैक्शन को येन–केन प्रकारेण नहीं लगाने देना चाहता है क्योंकि प्रार्थी की नीयत में बदयान्ती आ गयी है। अप्रार्थी संख्या 01 के लगे हुये बोर को गलत रूप से अपने आराजी में लगा हुआ बतलाकर गलत तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 01 का अपने हिस्से की आराजी में सिंचाई हेतु बोर लगाया है अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से की आराजी को सिंचाई हेतु ड्रिप सिंचाई संयन्त्र भी स्थापित कर लिया है जिसका प्रमाण पत्र कार्यालय उप निदेशक उद्यान भरतपुर से दिनांक 09.01.2025 को प्राप्त किया है जबकि इस बाबत प्रार्थी के पास कोई भी दस्तावेज किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कृषि विद्युत कनैक्शन के लिए एप्लाई किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 के कृषि विद्युत कनैक्शन के लिए भौतिक सत्यापन विद्युत वितरण निगम लि0 बयाना द्वारा किया जाकर बोर के लिए विद्युत पोल भी स्थापित कर दिये है अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में यह सटीक प्रमाण है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने अभिकथनों की ताईद में कोई भी दस्तावेज बोर बाबत प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थी का कोई भी कथन प्रथमदृष्टया केस सावित नहीं होता है बल्कि प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बखूबी सावित होते है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र मद संख्या 05 व 06 को भी अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है उसने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्य दर्ज करके यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जैसी इक्यूटेबिल रिलीफ को पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को सिंचाई करने के लिए बोर लगाया है ड्रिप सैट भी मौके पर लगाया है इसके अलावा विद्युत कनैक्शन के लिए विद्युत वितरण निगम लि0 बयाना में एप्लाई करने के पश्चात विद्युत वितरण निगम द्वारा भौतिक सत्यापन करके विद्युत पोल भी बोर के लिए विद्युत कनैक्शन के लिए मौके पर स्थापित कर दिये है ऐसी स्थिति में भी मुझ अप्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस बखूबी सावित है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक एड0 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एड0 प्रार्थी का तर्क है कि बोर अप्रार्थी का नहीं बल्कि प्रार्थी का है। अप्रार्थी साहबसिंह ने प्रार्थी को खसरा नम्बर 1445 रकवा 1.00 हैक्ट. के 1/6 भाग का काश्तकार था। जिसमें से उसने अपने हिस्से में से 3/4 भाग को दिनांक 03.02.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी को विक्रय कर दिया तत्समय से विवादित आराजी पर मेरा कब्जाकाश्त है। इसी प्रकार अन्य विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2025 द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 06 ने मुझ प्रार्थी को खसरा नम्बर 1450 में से निहित अपने हिस्से को मुझे प्रार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया। एड0 प्रार्थी का यह भी तर्क है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 03.02.2020 को इकरारनामा हुआ था। जिसमें प्रार्थी को खसरा नम्बर 1446, 1447 से 1/6 भाग को विक्रय कर दिया और नगद राशि 8 लाख 50 हजार रूपये प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी जबरदस्ती लटठ के बल पर प्रार्थी की जमीन को हडपना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 का तर्क है कि प्रार्थी अपने दावा व प्रार्थना पत्र में क्लीन हैण्ड नहीं आया है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी में सिंचाई हेतु बोर लगा रखा है, बिजली कनैक्शन हेतु डिमाण्ड राशि अदा कर दी है। पूर्व से ही संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा ड्रिप सैट भी मौके पर लगाया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। विवादित आराजी पर सर्वप्रथम प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन देखा जाना जहां तक विवादित आराजी पर लगाये गये बोर प्रश्न है वह विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 01 का है। सिंचाई हेतु लगाये बोर

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

बाबत कृषि विद्युत कनैक्शन का एप्लाई किया हुआ है, व विद्युत कनैक्शन हेतु मौके पर पोल आदि विद्युत विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की डिमाण्ड पर लगाये जा चुके है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बखूबी सावित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.05.2025 इसी स्तर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/9/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

24/9/25

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज